

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्र0स्वी0-220/2014/.....राँची, दिनांक:.....

प्रेषक:

ई. राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो.-हिनू, राँची।

द्वारा: आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय: लघु सिंचाई दुमका प्रक्षेत्राधीन (i) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका का G+1 कार्यालय भवन के साथ लघु सिंचाई प्रमंडल दुमका का कार्यालय भवन तथा (ii) अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अचल देवघर के साथ लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल दुमका शिविर देवघर का कार्यालय भवन का नवनिर्माण हेतु परिशिष्ट-1 के अनुसार लागत राशि रू0 239.9 लाख (रूपये दो सौ उनचालिस लाख नब्बे हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2. लघु सिंचाई दुमका प्रक्षेत्राधीन (i) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका का G+1 कार्यालय भवन के साथ लघु सिंचाई प्रमंडल दुमका का कार्यालय भवन तथा (ii) अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अचल देवघर के साथ लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल दुमका शिविर देवघर का कार्यालय भवन का नवनिर्माण हेतु परिशिष्ट-1 के अनुसार लागत राशि रू0 239.9 लाख (रूपये दो सौ उनचालिस लाख नब्बे हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त प्रस्ताव मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका द्वारा तकनीकी अनुमोदनोपरांत प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर है।
4. प्रस्ताव में मुख्य अभियंता लघु सिंचाई दुमका हेतु G+1 कार्यालय भवन के साथ लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका का कार्यालय भवन तथा अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अचल देवघर के साथ लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल दुमका शिविर देवघर का कार्यालय भवन का नव निर्माण, जलापूर्ति एवं विद्युत कार्य एवं एक-एक अदद डीप बोरवेल का प्रावधान है।
5. प्रस्ताव पर होने वाले व्यय की राशि रू0 239.9 लाख (रूपये दो सौ उनचालिस लाख नब्बे हजार) मात्र में से रू0 104.51 लाख (एक सौ चार लाख इकावन हजार) मात्र "मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उप शीर्ष-25-भवन / गोदाम एवं कार्यालय निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य जल संरक्षण-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण के अधीन तथा रू0 135.39 लाख (रूपये एक सौ पैंतिस लाख उनचालिस हजार) मात्र मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-101-सतही जल उपशीर्ष-25 भवन/गोदाम एवं कार्यालय का निर्माण एवं जीर्णोद्धार विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण-45 निर्माण कार्य के अधीन प्राप्त बजट उपबंध में भारित होगा।
6. प्रस्तावित कार्य के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल दुमका शिविर देवघर एवं नियंत्रण पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका होंगे।

7. प्रस्तावित कार्य को वित्तीय वर्ष 2017-2018 में प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2018-2019 में पूर्ण किए जाने का प्रस्ताव है।
8. योजना के निर्माण में BIS के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कार्य के गुणवत्ता की जवाबदेही संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।
9. प्रस्तावित कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
10. इस कार्य के राशि की निकासी दुमका/देवघर कोषागार से की जाएगी।
11. प्रस्तावित कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट उपबंध प्राप्त है।
12. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
13. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
15. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।
16. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्र0स्वी0-220/2014/.....राँची, दिनांक:.....

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार /आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:-यथोक्त।

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्र0स्वी0-220/2014/.....राँची, दिनांक:.....

प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, दुमका/देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:-यथोक्त।

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्र0स्वी0-220/2014/.....राँची, दिनांक:.....

प्रतिलिपि: सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल दुमका/देवघर/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्र0 दुमका/लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल दुमका शिविर देवघर एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अनु0:-यथोक्त।

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्र0स्वी0-220/2014/.....राँची, दिनांक:.....

प्रतिलिपि: आयुक्त संचाल परगना प्रमंडल दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0:-यथोक्त।

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्र0स्वी0-220/2014/.....राँची, दिनांक:.....

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0:-यथोक्त।

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्र0स्वी0-220/2014/.....राँची, दिनांक: 29.08.2017

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

अनु0:-यथोक्त।

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका प्रक्षेत्राधीन कार्यालयो का नव निर्माण कार्य की विवरणी :-

(राशि लाख रू० में)

क्र०	कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका का G+1 कार्यालय भवन के साथ लघु सिंचाई प्रमंडल दुमका का कार्यालय भवन का नव निर्माण	104.510	
2	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल दुमका शिविर देवघर	अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंवल देवघर के साथ लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल दुमका शिविर देवघर का कार्यालय भवन का नव निर्माण	135.388	
		कुल राशि	239.898	
		अर्थात्	239.9	

नमूनांक 34/12-18 उ.सी. दिनांक 29.08.2017

उ.सी.
29/08/2017
उप सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची
29/08/17